पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं
प्रार्थीगण स्वयं उप. उनके द्वारा प्रा० पत्र वादते प्रार्थीगण
का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नोटेड में
शामिल किये जाने बाबत पेश कर निवेदन
किया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य
उत्पन्न विवाद का न्यायालय के बाहर लोक
अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका
है। प्रार्थीगण अब अग्रेतर सकरण को चलाना
नहि चाहते है। अतः प्रार्थीगण का अस्थायी

महावीर सिंह
निरंजन सिंह
पहचानकर्ता
Chouhan
1.8.2022

पत्रावली पूर्व आदेश मुलतवी दि. 01/08/22

C/No.-125/2021

01/08/2022

निवेदिका प्रार्थना पत्र नोटपेश में दर्ज किये जाने की कृपा करावें अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र वास्ते प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना नोटपेश में दर्ज किये जाने बाबत स्वीकार किया जाता है अतः प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र. को नोटपेश करने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है

अतः पत्रावली केवल कुमार हेमर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)